



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद  
पीठासीन अधिकारी:- श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 72/2025 प्रा0पत्र  
अनवान

तेज सिंह उर्फ तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह जाति रावत निवासी नंदावट तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.....अप्रार्थी

उपस्थिति :-

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:- 16/3/2026

01. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नन्दावट पटवार हल्का टोगी, तहसील भीम जिला राजसमंद में प्रार्थी के खाते व कब्जे की निम्न आराजियात स्थित है, जिसमें बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह दर्ज रिकॉर्ड है।

खसरा नम्बर	रकबा है0 में	किस्म
1917	0.0243	बारानी 2
1918	0.0890	बारानी 2
1919	0.0405	बारानी 2
1273	0.3399	बंझड़
2351/933	0.1133	बंझड़
2359/946	0.3237	बंझड़
1029	0.0647	चाही 2
2333/646	0.0486	बंझड़
522	0.0324	जा. 2
523	0.0243	जा. 2
527	0.0040	बारानी 2
528	0.0162	बारानी 2
544	0.0445	चाही 1 जा. 1
545	0.0546	चाही 1 जा. 1
547	0.0405	चाही 1
532	0.0324	जा. 2



यह कि मौजा नंदावट तहसील भीम में प्रार्थी के खाते व कब्जे की निम्न भूमियां स्थित हैं जिसमें बतौर खातेदार उसका नाम तेजपाल सिंह के बजाय तेजसिंह पिता किशन सिंह भूल या जानबूझकर दर्ज रिकॉर्ड है जो उसके खाते कब्जे की होकर उसे अपने बाप दादा से मिली है।

खसरा नम्बर	रकबा है० में	किस्म
1019	0.0182	गै.मु.चाह
961	0.0728	बारानी 1
1014	0.0304	चाही 1
1015	0.0364	चाही 1
947	0.0364	बारानी 2
959	0.0647	चाही 2
580	0.0688	चाही 2 जा. 2
1878	0.0121	बारानी 2
1011	0.0445	चाही 1
1030	0.0364	चाही 2 जा. 2
2372 / 1272	0.1862	वंझड
529	0.0405	बारानी 2
605	0.2671	वंझड
582	0.0081	गै०मु० चाह

12. यह कि प्रार्थी के राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंक पासबुक वगै० में सभी जगह उसका नाम तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह दर्ज है, किन्तु प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजियात पर बचपन में प्रार्थी को तेजसिंह कहते थे जबकि उसका नाम तेजपाल सिंह है जो भूलवश प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजियात में तेज सिंह दर्ज कर दिया है जिसे तेजपाल किया जाना आवश्यक है वरना उसे भारी हानि होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नहीं है। यह कि माफिक प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 01 में अंकित भूमि पर प्रार्थी का नाम तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह है उसी अनुसार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में अंकित तेज सिंह पिता किशन सिंह के बजाय तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है वरना उसे भविष्य में भारी हानि व परेशानी होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न आशय का आदेश इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित भूमि में तेज सिंह पिता किशन सिंह के बजाय तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा हर्जा खर्चा मुकदमा एवं अन्य कोई दाद जो न्यायालय उचित समझे प्रदान कराई जावें। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में जमाबंदी की प्रतिलिपि, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी प्रस्तुत किया।


3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम, पटवारी हल्का टोगी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम तेजसिंह पिता किशनसिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी में इनका नाम तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह है जो सही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त

५

आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में तेज सिंह पिता किशन सिंह का नाम दुरुस्त कर तेजपाल सिंह पिता किशन सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/3/26 को खुले इजलास सुनाया गया।



  
सहायक सेशन जज  
बपखण्ड बड़लीनी, भीरु  
बिला - राजसमन्त